मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क0445/587/2017/ब–1/चार, भोपाल, दिनांक 09/04/2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :– वित्तीय वर्ष के अंतर्गत त्रैमासिक कार्य योजना एवं बजट आवंटन ।

———

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2010–11 से बजट आवंटन की त्रैमासिक कार्य योजना लागू की गई थी । त्रैमासिक आहरण व्यवस्था को लागू रखते हुए इस संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. वित्तीय वर्ष के पहले तथा दूसरे त्रैमास के लिये उपलब्ध बजट के व्यय के लिए, प्रथम छः माह के लिये (स्थापना व्यय को छोड़कर) 45 प्रतिशत की अधिकतम सीमा एवं चतुर्थ त्रैमास के लिए वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट के 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है ।
2. प्रथम दो त्रैमासों हेतु निर्धारित सीमा (अधिकतम 45 प्रतिशत) से कम व्यय होने पर इन माहों की शेष राशि तृतीय त्रैमास में उपयोग की जा सकेगी।
3. पूर्व तीन त्रैमासों की अव्यतित राशि चतुर्थ त्रैमास में व्यय करने हेतु तथा किन्हीं विशिष्ट कारणों से भिन्न मापदण्ड़ आवश्यक होने पर प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा व्यय की अनुमति दी जा सकेगी ।
4. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय जिन बजट लाईन में संपूर्ण राशि आहरित करने की छूट वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई हो, उसी बजट लाईन में अगर पुनर्विनियोजन के माध्यम से राशि स्वीकृत की जाती है तो पुनर्विनियोजित राशि के लिए भी यह छूट मान्य होगी।
5. निम्नानुसार व्ययों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय उपलब्ध बजट के पुनर्वितरण में संशोधन के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं :–
   (i) जहॉ केन्द्रांश प्राप्त होने पर केन्द्रांश एवं राज्यांश आहरण एवं व्यय किया जाता है ;
   (ii) छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के सभी मद ;
   (iii) जहॉ अनुदान से किसी संस्था में वेतन/ भत्तों/ छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति का भुगतान होता हो ;

//2//

(iv) जहाँ व्यय किसी घटना पर आधारित हो(जैसे–प्राकृतिक आपदा आरबीसी 6(4) के तहत भुगतान, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा, राहत राशियां इत्यादि) ;

(v) न्यायालयीन आदेश/डिक्री से संबंधित भुगतान ;

(vi) शासन की ऐसी देयताएं, जहाँ निर्धारित तिथि को ही भुगतान होता है। (जैसे–ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं Annuity राशियां);

(vii) वैवेकिक अनुदान (योजना कं0–5839, 9060, 9064 एवं 9939) तथा स्वेच्छा अनुदान (योजना कं0–1954, 5272) ।

6. उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजीत कुमार)
संचालक बजट एवं सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 09/04/2018

पृ.क0 446/587/2017/ब–1/चार,

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता /उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र.ग्वालियर/भोपाल
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
10. आयुक्त, जनसम्पर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग